न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:—90/2018 दायर दिनांक:—22.10.2018

जीसीएमएस नं. 2018/00250

1. हरज्ञान उम्र 70 साल पुत्र श्री घरमल
2. बहादुर उम्र 62 साल
3. कन्डेलसिंह उम्र 50 साल
4. मु. चन्द्रकला उम्र 60 साल
5. मु0 महादेवी उम्र 52 साल

(क्रमांक 2 से 5) पुत्र हरीसिंह

(सभी) जाति जाट निवासी ग्राम खीपकापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—————सायलान

बनाम

1. रघुपत उम्र 71 साल पुत्र मांगी
2. मु0 रूपन्ती उम्र 65 साल पत्नि जीतमल
3. जीतमल पुत्र मांगी उम्र 68 साल

(सभी) जाति जाट निवासी खीपकापुरा तह0 हिण्डौन जिला करौली राज0

——गैरसायलान—03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायलान

2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :— 16-10-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी साबिक ख0 न0 942/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा व 941 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम खीपकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ गैरसायलान स0 1 व 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रहेगी।

आराजी वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र के ख0न0 942/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का एक रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] गैरसायलान [illegible] 1 व 3 द्वारा दिनांक 24.07.1989 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार तहसील [illegible] डौन [illegible] पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 35 के पृष्ठ स0 107 की क्रम संख्या 750 [illegible] बलिग 12,000/— [illegible] में बहक सायल सं0 1 व मृतक हरिसिंह के पिता स[illegible] स0 2 ता 6 के [illegible] तकमील तस्दीक करवाकर मौके पर कब्जा सायलान साबिक ख0न0 942/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा पर करवा दिया। सायलान योमदायरी खरीद से उक्त रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:41:59 IST
Reason: SelfAttested

यानि करीब 36 ऐयर पर काबिज एवं दखील है। विक्रयपत्र का दिनांक 24.07.1989 को तकमील तस्दीक करवाने के बाद सायलान द्वारा विक्रयपत्र का अमल दरामद करने बाबत विक्रयपत्र की मूल प्रति हल्का पटवारी को दे दी गई मगर हल्का पटवारी व सरकारी कर्मचारियों की लेतलाली के चलते विक्रय पत्र का अमल साबिक रिकॉर्ड में नहीं किया जा सका। इसी दौरान सेटिलमेन्ट ऑपरेशन रिकॉर्ड सेटिलमेन्ट से तहसील हिण्डौन को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया चल गयी, और विक्रय पत्र का अमल साबिक के मुताबिक एक विक्रयपत्र आराजी विवादग्रस्त का बहक दावे के प्रतिवादी सं0 6 तकमील करवा दिया। मगर सेटिलमेन्ट विभाग की गलती से साबिक आराजी ख0न0 942/2 रकबा एक बीघा 9 बिस्वा के दो खसरा न0 कायम कर दिये। ख0न0 112 रकबा 20 ऐयर व ख0न0 942/2 की शामिल कर दी। तथा शेष जमीन खसरा न0 941 रकबा 19 बिस्वा शामिल कर रिकॉर्ड तैयार कर दिया। जो गलत है। क्योंकि साबिक ख0न0 942/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का एक अलग खेत था। सेटिलमेन्ट विभाग को साबिक के अनुसार ही खसरा न0 112 का रकबा 36 ऐयर कायम करना चाहिए था। इसलिये मौजूदा रेवन्यु रिकॉर्ड गलत है। जिसे दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। खसरा न0 112 रकबा 20 ऐयर दावे के प्रतिवादी स0 06 की खातेदारी में खसरा न0 117/2 रकबा 16 ऐयर सायल स0 1 बहिस्सा 1/2 व सायल स0 2 व 5 बहिस्सा 1/2 की खातेदारी में शेष रकबा जो खसरा न0 941 रकबा 19 बिस्वा यानि 24 ऐयर रहता है, में से 12 ऐयर की खातेदारी कुल रूकमणी के नाम तथा 12 ऐयर की खातेदारी गैरसायल स0 3 के नाम की जाकर जिसका नवीन ख0न0 117/1 रकबा 24 ऐयर कायम किया जावे। तथा खसरा न0 117 की 8 ऐयर खसरा न0 118 सम्पूर्ण यानि 34 ऐयर रकबा सरकारी सिवाचयक दर्ज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाका दिनांक दिनांक 27.08.2018 को सुबह 9 बजे का है कि सायलान अपनी 16 ऐयर खारीशुदा जमीन के उस हिस्से में जिसमें खसरा न0 942/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बनाये, पर खडी फ[illegible] कि गैरसायल स0 1 व 3 द्वारा ऐलानिया धमकी दी है कि तुम्हारी [illegible] ऐयर जमीन वाकी नहीं है। हम तुम्हे अब काश्त करने नहीं [illegible] गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय [illegible] हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी पुरी नहीं हो सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:41:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमया जावे कि गैरसायल ख0न0 117/2 रकबा 24 ऐयर के रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। तथा ख0न0 117 की 8 ऐयर, 118 की 26 ऐयर भूमि स्थित ग्राम खीपकापुरा को सरकारी सिवाचयक दर्ज होने से पूर्व रहन व्यय नहीं करे। व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 03 को बार–बार आवाज दिलवायी गयी । आवाज दिलवाने के बावजूद उपस्थित नही आये। आदेशिका दिनांक 15.10.2020 द्वारा गैरसायलान 1 ता 03 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 खाता संख्या 522, 166 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ , मिलान क्षेत्रफल , विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1989, खेवट खटोनी पेश किये है।

सायल वकील उपस्थित। सायल वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील एकपक्षीय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल 2070–73 खाता संख्या 522, 166 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ , मिलान क्षेत्रफल , विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1989, खेवट खटोनी में भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी जमाबन्दी 2070–73 खाता संख्या 522, 166 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में दर्ज काबेदार गैरसायलान जो हर्जा रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि जमाबन्दी 2070–73 खाता संख्या 522, 166 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ अंकित है एवं सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:41:59 IST
Reason: SelfAttested

खरीदी गयी है वर्तमान में वारिसों के नाम जमाबंदी में है। एवं सायलान अनावश्यक रूप से एक दुसरे को पाबन्द कराना चाह रहे है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16-10-24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:41:59 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन